इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 353] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 21 जुलाई 2011—आषाढ़ 30, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2011

क्र. 16956-वि.स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम, 64 के उपबन्धों के पालन में, मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 29 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 21 जुलाई, 2011 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २९ सन् २०११

मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०११

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. धारा ४ का संशोधन.
३. धारा १० का संशोधन.
४. धारा ३३ का संशोधन.
५. धारा ६४-क का अंत:स्थापन.
६. अनुसूची-१ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २९ सन् २०११

मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

(२) (क) इस संशोधन अधिनियम की धारा ३ तथा ६ के उपबंध १ अप्रैल, २०११ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे.

(ख) इस संशोधन अधिनियम के शेष उपबंध, मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

धारा ४ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ४ में, उपधारा (३) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(३ क) यदि अपील बोर्ड के कारबार में किसी अस्थायी वृद्धि के कारण या उसमें कार्य बकाया होने के कारण, राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि अपील बोर्ड के सदस्यों की संख्या में तत्समय वृद्धि की जानी चाहिए, तो राज्य सरकार सम्यक्रूप से अर्हित व्यक्तियों को अपील बोर्ड के अतिरिक्त सदस्यों के रूप में, दो वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के लिए, जैसी कि वह विनिर्दिष्ट करे, नियुक्त कर सकेगी.''.

धारा १० का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १० में, उपधारा (१) में, खण्ड (ख) में, उपखण्ड (एक) में, शब्द, अंक, कोष्ठक तथा अक्षर ''धारा १६ के अधीन करमुक्त घोषित किए गए माल या धारा १४ की उपधारा (१ ख) के अधीन अधिसूचित माल'' के स्थान पर, शब्द, अंक, कोष्ठक तथा अक्षर ''धारा १४ की उपधारा (१ ख) के अधीन अधिसूचित माल से भिन्न धारा १६ के अधीन करमुक्त घोषित किए गए माल'' स्थापित किए जाएं.

धारा ३३ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ३३ में, उपधारा (१) में, शब्द, अंक, तथा कोष्ठक ''तथा कंपनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का सं. १) की धारा ५३० के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए'' का लोप किया जाए.

धारा ६४-क का अन्त:स्थापन.

५. मूल अधिनियम की धारा ६४ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

अपराधों का शमन.

''६४-क. (१) ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जाएं, आयुक्त, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां संस्थित किए जाने के पूर्व या उसके पश्चात्, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी अपराध के लिए आरोपित किया गया है, दस हजार रुपए से अनधिक की ऐसी राशि का, जैसा कि आयुक्त अवधारित करे, भुगतान करने पर, उस अपराध के शमन की अनुज्ञा दे सकेगा :

परन्तु जहां अपराध धारा ६४ की उपधारा (१) के खण्ड (ख), (ग) या (घ) के अधीन आरोपित हो जाता है और कर की रकम जो ऐसे व्यक्ति द्वारा उस दशा में देय होती जबकि उसने इस अधिनियम के उपबंधों का पालन किया होता, पांच सौ रुपए से अधिक है, वहां आयुक्त, ऐसी राशि का भुगतान करने पर जो उस रकम के दुगने से अधिक न हो, शमन की अनुज्ञा दे सकेगा.

(२) ऐसी रकम का भुगतान करने पर, जैसी कि उपधारा (१) के अधीन आयुक्त द्वारा अवधारित की जाए, अभियुक्त व्यक्ति उन्मोचित् हो जाएगा और उसके विरुद्ध उसी अपराध के संबंध में कोई और कार्यवाही नहीं की जाएगी.''.

अनुसूची-१ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की अनुसूची-१ में, अनुक्रमांक ३ के सामने, कालम (२) में, शब्द ''कपास्या खली तथा सरसों खली'' के स्थान पर, शब्द ''कपास्या खली, सरसों खली तथा मक्का खली'' स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्ष २०११-१२ के लिए विधान सभा के बजट सत्र में वित्त मंत्री द्वारा की गई उद्घोषणा को कार्यान्वित करने की दृष्टि से, तथा कतिपय अन्य बिन्दुओं जैसे अपील बोर्ड में अतिरिक्त सदस्य की नियुक्ति, बीमार उद्योगों के संबंध में कर के प्रथम प्रभार्य में आने वाली कठिनाई, अधिनियम के अधीन अपराधों का शमन आदि की दृष्टि से मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) में समुचित संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल:

राघवजी

तारीख १८ जुलाई, २०११. भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड २ द्वारा राज्य सरकार को अपील बोर्ड में अपर सदस्य नियुक्त किये जाने की अधिकारिता संबंधी विधायनी शक्ति प्रत्यायोजित की जा रही है. उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.